जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 298 प्रभात कोटा, शनिवार 10 अगस्त, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ को हटाने की पूरी तैयारी की

सदन में विपक्ष के नेता खड़गे के कक्ष में 50 सांसदों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसमें धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लिखा गया है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अगस्त। राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के क्रोध एवं निराशा का बाँध आज टूट गया तथा विपक्ष सभापति के खिलाफ कार्यवाही पर आमादा हो गया।

अनुच्छेद 67, जिसमें राज्य सभा के सभापति को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, के अनुसार, विपक्षी दलों के पास सभापति को हटाने के लिये जरूरी 50 प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

ये हस्ताक्षर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुरक्षित हैं, लेकिन इससे पहले कि आवश्यक कार्यवाही शुरू होती, सरकार ने दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित करने का कदम उठा लिया। ज्ञातव्य है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संसद सोमवार, 12 अगस्त तक चलनी थी।

सभापति को हटाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत, राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित कराना होता है। इसके बाद, यह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है तथा वहाँ भी इसका पारित होना जरूरी होता है।

- **पर, पत्र सदन में पेश होने से पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के स्थगित करने का निर्णय लेकर स्थगन की कार्यवाही पूरी कर ली, हालांकि, पूर्व लिखित कार्यक्रम के अनुसार, सदन बारह तारीख तक चलना था।**
- **जैसा कि विदित ही है, राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 67 के तहत, 50 राज्यसभा के सांसदों द्वारा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना जरूरी है।**
- **कांग्रेस की शिकायत है कि जब से लोकसभा चुनाव के बाद, राज्यसभा का सत्र आहूत हुआ है, सभापति धनखड़ का सदन में आचरण बहुत पक्षताप पूर्ण रहा है, विशेषकर सभा में विपक्ष के नेता खड़गे के प्रति आपत्तिजनक रहा है।**
- **शुक्रवार को धनखड़ को अपदस्थ करने की कार्यवाही, धनखड़ द्वारा, चार बार सांसद रहीं जया बच्चन के प्रति भी आपत्तिजनक बर्ताव से शुरु हुई।**
- **धनखड़ ने जया बच्चन को बोलने नहीं दिया व उनका माइक साइलैंट कर दिया।**
- **सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया व फिर खड़गे के दफ्तर में इकट्ठे होकर धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर शुरु हुए।**

धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति भी है, तथा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, उनकी आकांक्षा भारत का राष्ट्रपति बनने की है। यही कारण है कि वे विपक्ष के खिलाफ जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे तथा सरकार के प्रति वे पक्षपात में बहुत ज्यादा आगे भी दिखाई देते हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष धनखड़ के खिलाफ कार्यवाही करेगा या नहीं, या वह धनखड़ पर केवल दबाव बना रहा है ताकि वे निष्पक्षता का व्यवहार करने लगें।

एक कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष सभापति से तभी से नाराज है, जब आम चुनाव के बाद संसद बुलाई गई थी। उस समय सभापति ने विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी थी तथा विपक्ष के नेता खड़गे के प्रति धनखड़ का व्यवहार अवांक्षनीय रहा है।

आज भी धनखड़ का व्यवहार पहले जैसा ही थी, जब धनखड़ और जया बच्चन के बीच बहस हुई तथा जैसा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमन सहरावत ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज़ मैडल

पेरिस, 9 अगस्त। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराकर देश के लिए पांचवां और कुश्ती का पहला कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या छह हो गई हैं।

- **भारतीय रैसलर अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराकर भारत को छठा पदक दिलाया है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शेख हसीना, वापस बांग्लादेश लौटने की तैयारी में हैं?

उनके पुत्र साजिद ने लंदन से इस बात की पुष्टि की कि शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचकर आम चुनाव में भाग लेंगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अगस्त। बांग्लादेश से अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का ब्रिटेन में शरण लेने के बजाए अपने देश लौटना तय है। उनके पुत्र माजिद ने पुष्टि की कि वे अपने देश में चुनाव लड़ेंगी।

शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग, जो कि उनके देश छोड़ने के बाद से हमलों का शिकार हो रही थी, अब उत्साहित है। देश के कुछ इलाकों में लोग एकत्रित हो रहे हैं और शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं।

हसीना के हैलीकाप्टर ने जबसे दिल्ली के निकट हिण्डौन एयर बेस पर लैण्ड किया है, भारत ने उनके पते ठिकाने को लेकर चुप्पी साध रखी है। किसी को नहीं पता कि वह फिलहाल कहां हैं और उन्हें किस प्रकार से सिक्योरिटी कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यदि वह बांग्लादेश लौटने का निर्णय भी करती हैं तो उन्हें एक फूल-प्रूफ सिक्योरिटी कवर उपलब्ध करवाया जाएगा।

स्मरण रहे कि पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान सेना से सफलतापूर्वक मुक्त करवाने के बाद भारतीय सेना ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले उसके संस्थापक शेख मुजबुर्रमान को सुरक्षा संबंधी चेतावनी दी थी तब उन्होंने सुरक्षा कवर लेने से इनकार कर दिया था और उस इनकार का परिणाम सभी को मालुम है।

- **शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश अवामी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है तथा उसके ''स्लीपर सैल'' जो देशभर में फैले हुए हैं, अब पुनः इकट्ठे हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं तथा मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना वापस लौटें।**
- **भारत की दृष्टि से स्थिति काफी नाज़ुक है। बांग्लादेश के संस्थापक, शेख मुजीबुर रहमान को भारत ने आगाह किया था, उनकी सुरक्षा के बारे में, विशेषकर तब, जब भारतीय सेना, बांग्लादेश को आज़ाद करने के अपने प्रोजैक्ट के पूर्ण हो जाने के बाद, अपने देश लौट जायेगी।**
- **बंग बंधू ने इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया था तथा उसका नतीजा सबके सामने है।**
- **सुरक्षा की दृष्टि से शेख हसीना की स्थिति भी ऐसी ही है जैसी उनके पिता की थी। अतः उन्हें भी काफी मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होगी, उनके बांग्लादेश पहुंचने के बाद और बांग्लादेश की सेना सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेगी, यह संदेहाप्रद लगता है। अतः यह जिम्मेवारी भी हिन्दुस्तान पर ही आयेगी और जाने-अनजाने, चाहे अनचाहे रूप में भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामले में उलझने की संभावना बन रही है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या दक्षिण भारत में नए राजनैतिक समीकरण बन रहे हैं?

आंध्र के सत्तारूढ़ नेताओं की तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों के साथ मीटिंग्स के आखिर क्या मायने हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अगस्त। दक्षिण भारत में देश की राष्ट्रीय पार्टियों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ दिलचस्प मीटिंग्स होने जा रही हैं। इन मीटिंग्स से राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल भविष्य में पुनः संगठित हो सकते हैं। इससे केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व वाले एन.डी.ए. के दिल की धड़कनें बढ़ना तय है।

आंध्रप्रदेश के नए मुख्यमंत्री नारा चन्द्रबाबू नायडू के अनुरोधों को केन्द्र सरकार आदेश के रूप में लेती है, चाहे वह आंध्र प्रदेश के लिए बजट आवंटन हो या विवादस्पद वक़्फ़ बोर्ड (संशोधन) विधेयक को जॉइन्ट पार्लियामैन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) के पास भेजना हो। नायडू ने कुछ हफ्ते पूर्व ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री से दोनों तेलुगू भाषी राज्यों के कुछ पुराने मसले हल करने को लेकर बात की।

यह आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं फिल्म स्टार से राजनेता बने पवन कल्याण के कर्नाटक दौरे के समान है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है। पवन कल्याण ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा कुछ प्रमुख मंत्रियों के साथ कई मीटिंग्स की थीं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था।

चूंकि, एन.डी.ए. सरकार तेलुगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) और उसके 16 सांसदों के समर्थन पर निर्भर है, इसलिए पुराने दोस्तों एवं सहयोगियों के बीच की ये मीटिंग्स निश्चित रूप से दिल्ली में चिन्ता का स्तर बढ़ा सकती हैं।

विदित है कि पवन कल्याण को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **सरकारी मीटिंग्स के तौर पर देखी जा रही इन मेल मुलाकातों के संभावित राजनैतिक प्रभाव को लेकर केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा की बेचैनी बढ़ती हुई सी लग रही है, क्योंकि केन्द्र में भाजपा सरकार तेलूगु देशम के समर्थन पर निर्भर है।**
- **आंध्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद चंद्रबाबू ने तेलंगाना जाकर वहां के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी से मुलाकात की थी। दोनों तेलुगू भाषी नेताओं के बीच लम्बी चर्चा हुई थी।**
- **हाल ही में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और लोकप्रिय स्टार पवन कल्याण कर्नाटक गए तथा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व अन्य मंत्रियों से मिले और यह मुलाकात भी राजनैतिक हल्कों में चर्चा का विषय बनी हुई है।**

'क्या आप लड़कियों को तिलक या बिंदी लगाने से भी रोकेंगे'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अगस्त। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब व बुर्का पहनने पर रोक लगाने वाले मुम्बई के एक कॉलेज पर कठोर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा कि महिलाएं क्या पहने, क्या नहीं, यह बताकर वे उनका सशक्तिकरण कैसे करेंगे?

- **सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले एन.जी. आचार्य एण्ड डी.के. मराठे कॉलेज से सवाल पूछा।**

कोर्ट ने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

मुम्बई के पेम्बूर के एन.जी. आचार्य एवं डी.के. मराठे कॉलेज द्वारा छात्राओं के बुर्का, हिजाब, नकाब, केप, स्टोल आदि पहनने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ व छात्राओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और पी.वी. संजय कुमार की बैंच ने आदेश पर आंशिक रोक लगा दी।

''पीठ ने कहा कि इन सबकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या इंदिरा जी ने गलती करी थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा के?

बांग्लादेश में हिन्दू परिवारों, मंदिरों व प्रतिष्ठानों पर एक बार फिर व्यापक हिंसात्मक हमलों के बाद बहस शुरु हुई, इंदिरा जी की भूमिका के बारे में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अगस्त। पड़ोसी देश बाँग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रही हिंसा की खबरों के बीच, सोशल मीडिया में एक ऐतिहासिक प्रश्न पर बहस चल रही है। क्या इंदिरा गान्धी ने पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्ती बाँग्लादेश थोपकर गलती की थी ?

ढाका से प्राप्त रिपोर्ट बता रही हैं कि बाँग्लादेश में हिन्दुओं पर हिंसा हो रही है, जो बाँग्लादेश की 170 मिलियन आबादी का 8 प्रतिशत हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आन्दोलनकारी युवाओं के बहुत बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आने के बाद, जब शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थीं, उसके बाद के इस एक सप्ताह में हिन्दुओं के घरों और मन्दिरों को निशाना बनाया जा रहा है। 'बाँग्लादेश में हिन्दुओं को आमतौर से शेख हसीना की 'अवामी लीग पार्टी' का समर्थक माना जाता है। बाँग्लादेश हिन्दू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल' का अनुमान है कि 5 अगस्त के बाद से, देश के 64 में से 52 जिले साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित हैं।

जहाँ बाँग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका की करोड़ों लोग आम तौर से प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन देश में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा के इस नये दौर ने इन्टरनेट यूजर्स के कुछ वर्गों को अलग ही कहानी गढ़ने के लिये उकसाया है। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने भारत, और खासतौर से हिन्दुओं का भारी नुकसान किया था, क्योंकि बाँग्लादेश के निर्माण में उनकी भूमिका के कारण हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई थी। मधु पूर्णिमा किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, ''हिन्दुओं की नृशंस हत्याएं, जबरन धर्मान्तरण तथा हिन्दु महिलाओं के अपहरण इस बात का पर्याप्त प्रमाण हैं कि पूर्वी बंगाल में रहने वाले मुस्लिमों का मूल बंगालियों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। एक अन्य सोशल मीडिया यूज़र ने इस बात का प्रतिकार करते हुये कहा कि अगर इंदिरा गांधी ने दखलंदाजी नहीं की होती और 1971 में पाकिस्तान को नहीं हराया होता, तो पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू और बहुत बड़ी संख्या में कत्ल कर दिये होते।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **इस ट्विटर युद्ध में यह तर्क दिया जा रहा है कि अवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान द्वारा पाकिस्तान से आज़ाद होने के सामरिक प्रयास में भारत की भूमिका सर्वज्ञात है और इस कारण बांग्लादेश के ''फण्डामैंटलिस्ट'' (रूढ़ीवादी ताकतों) की भारत के प्रति दुर्भावना और तेज हो गयी।**
- **इसका नवीन सबूत है, पांच अगस्त से बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ शुरु हुआ हिंसक घटनाओं का दौर।**
- **सोशल मीडिया पर भारी चर्चा चल रही है कि अगर बांग्लादेश को आज़ाद नहीं कराया गया होता तो हिन्दुओं के प्रति इतनी घृणा व वैमनस्य का माहौल नहीं होता।**
- **बांग्लादेश में आठ प्रतिशत हिन्दू हैं तथा बांग्लादेश के 64 में से 52 जिलों में भारी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसका मुख्य टारगेट हिन्दू हैं।**

'बेल मिलना अधिकार और जेल देना अपवाद है'

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत देते हुए केन्द्रीय जांच एजेंसियों व निचली अदालतों पर कड़ी टिप्पणियां कीं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की आबकारी नीति के घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लाँडरिंग के केस में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस का ट्रायल पूरा होने में इतना लम्बा समय लगने पर हैरानी जताई और यह भी कहा कि त्वरित सुनवाई किसी भी आरोपी का मूल अधिकार है।

सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तारी के 18 माह बाद दिल्ली में पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त फैसले में कहा कि वे त्वरित सुनवाई के हकदार हैं और इससे इन्कार उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भेजना उन्हें सांप-सीढ़ी के खेल में डालने जैसा होगा।

कोर्ट ने कहा, जीवन और आज़ादी का अधिकार, जो संविधान में संरक्षित है, के लिए किसी भी नागरिक को यहां वहां भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

सिसोदिया को सी.बी.आई. ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और इसके दो सप्ताह के भीतर ही उन्हें ई.डी. ने गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी को अभियोजन कार्य खत्म होने का कोई समय नहीं है इसए किसी को अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बैंच ने कहा कि बिना किसी ट्रायल के सिसोदिया को जेल में रखना उनके मूल अधिकारों का हनन है।

जस्टिस गवई ने कहा कि 18 माह की हिरासत और ट्रायल अभी शुरु भी नहीं हुआ है आप उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की विरासत और ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है आप उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की समाज में प्रतिष्ठा है उसके भाग जाने की आशंका नहीं है। फिर भी शर्तें लगाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। अदालते भूल गई हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती है। जमानत नियम है जेल अपवाद है।''

कोर्ट ने कहा कि आज़ादी का अधिकार बेहद पवित्र है। कोर्ट ने निचली अदालत का यह तर्क ठुकरा दिया कि सिसोदिया ने ही ट्रायल में देरी की है इसलिए इन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

सिसोदिया की रिहाई पर आम आदमीं पाटी ने कहा सत्य की जीत हुई है।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा कि आज सारा देश खुश है मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा क्रांति के नायक है।

संजय सिंह, जो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले चुके हैं, ने कहा कि, ''यह फैसला केन्द्र की तानाशाही के मुंह पर तमाचा है। इनके जीवन के 17 महीनों को खराब किया गया है। इन दिनों में बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते थे।''

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिसोदिया की रिहाई को सत्य की जीत बताया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सिसोदिया की रिहाई जल्दी हो जानी चाहिए थी।

सिसोदिया की जमानत के आदेश के साथ कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां की, जस्टिस गवई ने कहा, इस केस में 493 गवाह हैं इसलिए मनीष सिसोदिया का ट्रायल खत्म होने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है।

सुनावई के दौरान कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, जो एजेंसियों की तरफ से जिद कर रहे थे, से पूछा सच बताइए आपको इस सुरंग का अंत कहा दिखाई देता है। राजू ने कहा, 25 मार्च तय होने के एक माह के भीतर।

राजू ने पूर्व में कहा था कि, देरी इसलिए हुई है कि सिसोदिया व अन्य ने सबूत चैक करने के लिए कई आवेदन दिए हैं इसलिए ट्रायल में देरी हुई है।

सिसोदिया के दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि अधिकांश प्रमाण अधिसूचित हैं और ये

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए आरोपी को पुनः निचली अदालतों में भेजना उसे सांप-सीढ़ी के खेल में डालना होगा। आज़ादी हरेक का अधिकार है और संविधान में संरक्षित है, इसके लिए आप उसे यहां-वहां भटकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।**
- **जस्टिस गवई ने कहा, 8 महीने से बिना ट्रायल के सिसोदिया को जेल में रखना उनके मूल अधिकारों का हनन है।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों पर नाराज़गी दर्शाई और कहा, सजा के रूप में जमानत देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालतें भूल गई हैं कि जमानत को रोका नहीं जा सकता है।**
- **ज्ञातव्य है कि सी.बी.आई. ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें ई.डी. के सुपुर्द कर दिया गया था तब से वे जेल में ही हैं। कोर्ट ने हैरानी से पूछा कि इस केस में ट्रायल पूरा होने में आखिर कितना समय लगेगा।**

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, 20 साल की सजा

जयपुर, 9 अगस्त (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता की मौसी के देवर का बेटा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार संबंध बनाए। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा,

- **पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी पर 55 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति का कोई महत्व ही नहीं है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK